-135-

2 8 MAR 2003

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंकेक्षण अवधि 4/2001 से 3/2002

भाग-एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निपटाऐ गऐ तथा लम्बित पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है । अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

पैरा 5(क्यू) अनिर्णीत ।

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

पैरा 4(सी) अनिर्णीत ।
पैरा 5(5) अनिर्णीत ।
पैरा 7(2)(सी से एफ) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

पैरा 6(5) अनिर्णीत ।
पैरा 9(6) अनिर्णीत ।

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

पैरा 7(क) अनिर्णीत ।

(ङ.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

पैरा 4 अनिर्णीत ।
पैरा 6(ए) अनिर्णीत ।
पैरा 6(बी) अनिर्णीत ।

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

पैरा 7 अनिर्णीत ।
पैरा 26 समाप्त ।

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

पैरा 6 निर्णीत । (सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया)

पैरा 19(ख) निर्णीत ।

......2

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97:

पैरा 6(क)	निर्णीत (दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की पुष्टि की गई)
पैरा 6(ठ)1(2)	अनिर्णीत ।
पैरा 11	अनिर्णीत । → पैरा संख्या 11 निर्णीत - सहायक निदेशक (ले0प0) ... के पत्र पृ0 168-169 ... संख्या: ... (15)19 (9/88) 2005-10 के अनुसार
पैरा 12(च)	अनिर्णीत ।
पैरा 16	निर्णीत ।
पैरा 45	अनिर्णीत ।

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

पैरा 13	निर्णीत (वर्ष 2000-01 के रिपोर्ट पैरा 9 में नवीनतम स्थिति सहित वर्णित ।)
पैरा 17	समाप्त । संशोधित स्वीकृतियों की पुष्टि की गई ।
पैरा 22	अनिर्णीत ।
पैरा 25	निर्णीत (माप पुस्तिका 353 का अवलोकन किया गया)
पैरा 30(च)	निर्णीत (वाहन को नीलाम एवं क्रय औसत का सत्यापन,आदेश की पुष्टि की गई)
पैरा 31	निर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण । प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

पैरा 10	समाप्त(संशोधित विचलन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित)
पैरा 11(ख)	निर्णीत (माप पुस्तिका 356 में प्रमाण की पुष्टि की गई)
पैरा 12(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 13(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 27	निर्णीत(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि की गई)
पैरा 28(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 33	समाप्त । (रु01200.00की वसूली को पुष्टि की गई)

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000:

पैरा 10	अनिर्णीत
पैरा 11	समाप्त(रु0 8982 रूपये की वसूली एवं शेष वसूली मदों की ओवर आल माप को पुष्टि की गई)
पैरा 16	अनिर्णीत ।

लगातार......3.

पैरा 19	निर्णीत (सुरक्षित अग्रिम को वसूली की गई है)
पैरा 21	अनिर्णीत ।
पैरा 24	अनिर्णीत ।
पैरा 26	अनिर्णीत।

(घ) <u>अंकेक्षण। एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001</u>

पैरा 4	निर्णीत (नवीनतम रिपोर्ट में सम्मिलित)
पैरा 5	निर्णीत । -"-
पैरा 6	निर्णीत । -"-
पैरा 7	निर्णीत । -"-
पैरा 8	निर्णीत ।(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा 9(1(से)4)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(5)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(6)	अनिर्णीत ।
पैरा 10	अनिर्णीत ।
पैरा 11(1 से 7)	अनिर्णीत ।
पैरा 12	अनिर्णीत ।
पैरा 13	समाप्त(संविदाकार को पैनल्टी आदेश को पुष्टि की गई)
पैरा 14(1 व 2)	निर्णीत(रु0 2650.00रुपये की वसूली की पुष्टि की गई)
पैरा 15	अनिर्णीत ।
पैरा 16	अनिर्णीत ।
पैरा 17	अनिर्णीत ।

<u>पूर्व नगर विकास शिमला के धर्मशाला मण्डल, आवास बोर्ड, से सम्बन्धित अनिस्तारित आपत्तियां</u> :-

<u>अंकेक्षण अवधि 1996-97:-</u>

पैरा 72(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 72(ख)	अनिर्णीत ।
पैरा 72(ग)	अनिर्णीत ।
पैरा 73(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 73(ख)	अनिर्णीत ।
पैरा 73(ग)	अनिर्णीत ।
पैरा 73(घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 73(ड.),(च),(छ)	समाप्त(मूल प्रतिवेदन में इस क्रमांक का पैरा नहीं है)
पैरा 74	अनिर्णीत ।
पैरा 75	अनिर्णीत ।
पैरा 76	अनिर्णीत ।
पैरा 77(क)	अनिर्णीत ।

लगातार पृ.......4.

पैरा 77(ख)	अनिर्णीत ।
पैरा 78	अनिर्णीत ।
पैरा 79	अनिर्णीत ।
पैरा 80	अनिर्णीत ।
पैरा 81	अनिर्णीत ।
पैरा 82	अनिर्णीत ।
पैरा 83 व 84	समाप्त (लघु आपत्ति विवरण व निष्कर्ष से सम्बन्धित)

अंकेक्षण अवधि 4/97 से 3/98:-

पैरा 33(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 33(ख)	-"-
पैरा 33(ग)	-"-
पैरा 33(घ)	-"-
पैरा 33(ड.)	-"-
पैरा 33(च)	-"-
पैरा 33(छ)	-"-
पैरा 33(ज)	-"-
पैरा 33(झ)	-"-
पैरा 33(ञ)	-"-
पैरा 33(त)	-"-
पैरा 33(प)	-"-
पैरा 34(क)	-"-
पैरा 34(ख)	-"-
पैरा 34(ग)	-"-
पैरा 34(ड.)	-"-
पैरा 34(च)	-"-
पैरा 34(छ)	-"-
पैरा 34(ज)	-"-
पैरा 34(झ)	-"-
पैरा 34(ञ)	-"-
पैरा 34(ट)	-"-
पैरा 34(ठ)	-"-
पैरा 34(ड)	-"-
पैरा 34(ढ)	-"-
पैरा 35(क)	-"-
पैरा 35(ख)	-"-
पैरा 35(ग)	-"-
पैरा 35(घ)	-"-
पैरा 35(ड.)	-"-
पैरा 36(क)	-"-
पैरा 36(ख)	-"-

लगातार पृ.....5.

पैरा 36(ग)	अनिर्णीत ।
पैरा 36(घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 37(क)	-"-
पैरा 37(ख)	-"-
पैरा 37(ग)	-"-
पैरा 38	-"-
पैरा 39	-"-
पैरा 40	-"-
पैरा 41(क)	-"-
पैरा 41(ख)	-"-
पैरा 42	-"-
पैरा 43	-"-
पैरा 44	-"-
पैरा 45(क)	-"-
पैरा 45(ख)	-"-
पैरा 45(ग)	-"-
पैरा 46(क)	-"-
पैरा 46(ख)	-"-
पैरा 47	-"-
पैरा 48	-"-
पैरा 49(क)	-"-
पैरा 49(ख)	-"-
पैरा 49(ग)	-"-
पैरा 49(घ)	-"-
पैरा 50	-"-
पैरा 51	-"-
पैरा 52	-"-
पैरा 53	-"-
पैरा 54	-"-
पैरा 55	-"-

अंकेक्षण अवधि 4/98 से 3/99 :-

पैरा 27	अनिर्णीत ।
पैरा 28	-"-
पैरा 29	-"-
पैरा 31	-"-

अंकेक्षण अवधि 4/99 से 15.1.2001

पैरा 54	अनिर्णीत
पैरा 55	अनिर्णीत ।
पैरा 56	-"-
पैरा 57	-"-
पैरा 58	-"-

लगातार पृ0 ....6.

पैरा 59	अनिर्णीत ।
पैरा 60	-"-
पैरा 61	-"-

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :- हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) के लेखाओं (अवधि 4/2001 से 3/2002) का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री अशोक कुमार सूद(अ०अ०) ,श्री विरेन्द्र कुमार(क०ले०प०) व श्री सुकेश कुमार सनेही,क०ले०प० द्वारा श्री अनिल शर्मा(सहायक निदेशक) के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.8.2002 से 22.9.2002 तक धर्मशाला में किया गया । मास 7/2001 व 3/2002 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया । अंकेक्षण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों/पैरों में समाविष्ट किया जाता है ।

3. अंकेक्षण शुल्क :- वर्ष 2001-2002 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक से अनुरोध किया जायेगा ।

4. कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम रु० 2401.00 रूपये अग्रिम की राशियां दिनांक 31.3.2002 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है । अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

क्रम संख्या	अग्रिम को विवरण	अग्रिम की राशि (रूपये)
1.	यात्रा अग्रिम	1302.00
2.	स्टाफ अग्रिम	1099.00
	कुल	2401.00

5.(1) विविध अग्रिम :- रु० 18,98,716.25 की राशि दिनांक 31.3.2002 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरूद्ध समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी । जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया है उपरोक्त अग्रिम राशियों की समय पर वसूली न करने की स्थिति का स्पष्टीकरण आपेक्षित है जबकि शेष अग्रिम राशियों को अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

इसके अतिरिक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि कुछ संस्थायें जैसे हि०प्र० सिविल सप्लाई कार्पोरेशन जिन्हें सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु अग्रधन दिया जाता है उनके नाम काफी राशि समायोजन हेतु शेष पड़ी है जैसे वाउचर संख्या 2 माह 7/2001 में दिया गया अग्रधन राशि रु0 2,51,910.00 रुपये 90 एम.टी. सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु दिये गये तथा इसमें से केवल 81 एम.टी. सीमेन्ट राशि रु0 2,26,719.00 रुपये का प्राप्त किया गया तथा शेष 9 एम.टी. सीमेन्ट राशि रु0 25,191.00 रुपये का अभी तक प्राप्ति हेतु शेष है जबकि इसके दो माह बाद 9/2001 में पुनः पूरा प्राप्त कर लिया गया परन्तु पुराना अग्रधन समायोजन हेतु अभी शेष पड़ा था।

इस प्रकार हि0प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से वर्ष 1985 से लेकर आज तक राशि रु0 6,34,625.00 रुपये लेने को बकाया है। जिसका शीघ्र समायोजन अपेक्षित है।

(2) मै. सूद स्टील इण्डस्ट्रीज कन्दरौड़ी से 3,50,000/= रुपये प्राप्ति हेतु शेष है। तथा Steel Authority of India से वर्ष 1988 से लेकर 1995 तक राशि रु0 1,24,814.59/= रुपये लेने को शेष है।

अतः लगभग 14-15 वर्षों से पड़े अग्रधन का समायोजन न करना। वापिस न लेना एक चिन्तनीय विषय है अतः इनके समायोजन हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाये जायें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(3) अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों से लगभग 9000/= रुपये अभी वसूलने हेतु शेष है जो उन्हें बोर्ड द्वारा अधिक भुगतान कर दिए गये थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन राशियों की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गये हैं अतः इन राशियों को अविलम्ब उचित माध्यम से वसूल कर वापिस जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। राशियों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.सं.	आर्डर्टम नं./माह	ठेकेदार का नाम	राशि (रुपये)
1.	749/12/94	श्री अनिल कुमार	146/-
2.	959/5/97	श्री एस.पी.टल	2935/-
3.	1113/3/99	मै. टिम्बर ट्रेल	975/-
4.	1098/1/99	मै. सुनील मनोचा	5000/-

6. हि0प्र0 आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर (बिन्द्रा वन) (फेज-1) के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च,2002 तक रु0 14,910/= रुपये पानी के बिलों की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत आवास बोर्ड उप मण्डल पालमपुर (बिन्द्रावन) की बस्तियों के मकान/प्लाट

सेन्ट हेतु अग्रधन तथा इसे

मालिकों से निम्न विवरणानुसार पानी के शुल्क के रूप में कु0 14910.00 रुपये की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इन प्रभारों की वसूली हेतु गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी (पैरा संख्या 7) मण्डल स्तर पर प्रयास करने हेतु कहा गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है। कि विभाग द्वारा इस शुल्क की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये है अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त प्रभावी पग उठाए जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

दिनांक 31.3.2002 तक इन शेष वसूलीयों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आबंटी का नाम	मकान/प्लाट संख्या:	बकाया राशि रुपये
1.	श्री वीरेश रहेजा	2	594.00
2.	श्री जयवीर खोसला	7	1419.00
3.	कु0 पवन कौशल	8	429.00
4.	श्रीमति सुनीता रहेजा	10	594.00
5.	श्री रणजीत कुमार	14	825.00
6.	श्री विनय मित्र महाजन	18	644.00
7.	श्री वी.एल.अटवाल	21	489.00
8.	श्री एस.के.सरोच	25	429.00
9.	श्री पी.एस.राना	26	330.00
10.	श्रीमति मनोरमा गंडोत्रा	27	825.00
11.	श्री एम.डी.चौधरी	28	594.00
12.	श्रीमति अलका सूद	32	334.00
13.	श्री जी.एल.बतरा	33	297.00
14.	कु0 रेणु अहुजा	34	429.00
15.	श्री आर.एस.ठाकुर	35	231.00
16.	श्रीमति हर्ष कम्बो	38	693.00
17.	श्री अजय सूद	40	429.00
18.	श्री विरेन्द्र कुमार शौरी	43	594.00
19.	मेजर अमित सूद	46	825.00
20.	श्री यशपाल सिंह पठानिया	47	231.00
21.	श्रीमति शशि गुप्ता	60	429.00
22.	श्री सी.पी.नागपाल	62	429.00
23.	श्री विक्रम सिंह	65	231.00
24.	श्री सुभाष चन्द सूद	68	111.00
25.	श्री रमेश चन्द शर्मा	70	429.00
26.	श्री अरूण कुमार अरोड़ा	80	693.00
27.	श्री अशोक नय्यर	84	693.00
28.	श्रीमति पूनम चौधरी	88	429.00
29.	श्री ओ.पी.खुराना	92	231.00
			14,910.00

7• रख-रखाव प्रभार कुल राशि मु0 19,88,104•00 रुपये की वसूली न करना।

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत आवास बस्ती, कांगड़ा, आवास बस्ती पालमपुर में विन्द्रावन व होल्टा में आवास बस्तियों के रख-रखाव हेतु जो प्रभार वसूला जाता है उसकी वसूली बहुत कम हो रही है जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं/~~वर्षों से कई~~ आवंटियों से वर्षों से यह शुल्क नहीं वसूला गया है और यह राशि कुल 19,88,104•00 रुपये बन गई है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें यह राशि लाखों रुपये में वसूली जानी अपेक्षित है जैसे ई•ई• लोक निर्माण विभाग मण्डल कांगड़ा से 1,14,218•00 रुपये, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डल कांगड़ा से 92,000/= रुपये, को आरडिनेटर सी•एस•आई•आर•(एम•आई•जी•) 21 से 31 मु0 4,78,206/= रुपये, मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, मु0 2,06,022•00 रुपये निदेशक सी•एस•आई•आर• 1,31,619•00, मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 लो• नि• वि• 1,19,172•00 रुपये व निदेशक सी•एस•आई•आर• मु0 1,87,083•00 रुपये व मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 लो0 नि0 वि0 मु0 1,60,720•00 रुपये वसूली हेतु बकाया है।

अतः उपरोक्त संस्थाओं से इस शुल्क की वसूली हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जायें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(क) आवास बोर्ड बस्ती, कांगड़ा

क्र•सं•	आवंटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया राशि (रुपये)
1•	श्रीमति गुलशन रानी	एचआईजी-40	440•00
2•	श्री कवल मोंगा	-"- 41	723•00
3•	श्रीमति मन्जू ग्रोवर	-"- 43	4426•00
4•	श्री रणजीत शर्मा	-"- 44	1676•00
5•	ई•ई•(हि•प्र•) लोक निर्माण विभाग, मण्डल, कांगड़ा	एचआईजी-II 6,14 से 37, 39,42,45से48	114218•00
6•	श्री सुरिन्द्र कुमार	एलआईजी-87	637•00
7•	श्री मधुसूदन भारद्वाज	एचआईजी-2	5577•00
8•	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (बी एवं आर) कांगड़ा	-"- 3,7 से 12	92778•00
9•	ले•क•के•सी•स्टोर	-"- 6	2958•00
10•	श्रीमति रेणु रानी	-"- 14	7076•00
11•	डा• किरण मित्र शर्मा	-"- 15	2846•00
12•	श्री मोहन कुमार	एचआईजी-I न•-16	2846•00

आगे•••••10•

13.	श्री रजनीश कुमार	एचआईजी-1-18	8133.00
14.	श्री ओ.पी.शर्मा	-"- -20	797.00
15.	श्री सतीश कुमार	-"- -23	3016.00
16.	श्री सतपाल	-"- -24	1737.00
17.	श्री रेणु कुमार	एचआईजी-1 एमआईजी-27	2315.00
18.	श्री एस.के.चौधरी	-"- -28	10386.00
19.	श्री एस.सी.गुप्ता	-"- -30	4156.00
20.	श्री गंगा दत्त शर्मा	-"- -32	797.00
21.	श्री गोपाल कृष्ण	-"- -33	3454.00
22.	श्री ए.एस.माथुर	-"- -37	6499.00
23.	श्री सुरिन्द्र सिंह	-"- -38	2846.00
24.	श्री सुरिन्द्र कुमार	-"- -43	3216.00
25.	श्री रामा नन्द	-"- -45	8133.00
26.	श्री सन्जीव कुमार	-"- -46	3336.00
27.	श्रीमति वीर प्यारी	-"- -49	8133.00
28.	श्री संजीव सिंह	-"- -50	797.00
29.	श्री एस.आर.शर्मा	-"- -51	2846.00
30.	श्रीमति ऊषा मनोचा	-"- -52	797.00
31.	कु. सिलेषा भाटिया	-"- -56	496.00
32.	श्री हरि कृष्ण शर्मा	-"- -57	76.00
33.	श्री मोहन लाल	-"- -58	2710.00
34.	श्री क.ऐ.एल.एवरोल	-"- -59	1877.00
35.	श्री अनिल सूद	-"- -61	1081.00
36.	श्रीमति सन्तोष कुमारी	एचआईजी-II -"- 63	496.00
37.	श्रीमति कन्चन शर्मा	-"- -64	584.00
38.	श्रीमति सरिता थापर	-"- -65	4990.00
39.	श्रीमति विजय लक्ष्मी	-"- -66	4037.00
40.	श्री नरिन्द्र वैश्य	-"- -67	496.00
41.	श्री राम रतखा	-"- -69	496.00
42.	श्री बृज मोहन शर्मा	-"- -70	496.00
43.	श्री मोहिन्द्र सिंह	-"- -71	4990.00
44.	श्री विनोद कुमार	-"- -72	4990.00
45.	श्री मोती राम	-"- -73	496.00
46.	श्रीमति रूपा कानूगो	-"- -74	4990.00
47.	श्री सुबोध भाटिया	-"- -76	1187.00
48.	श्री विनय प्रकाश	-"- -84	496.00
49.	श्री अभिलाश कुमार	-"- -86	4996.00
50.	श्री विनोद कुमार	एचआईजी-I	4426.00
51	श्री कन्हैया लाल	-"- -4	2295.00
52.	श्री राजेन्द्र कुमार	-"- -7	2295.00

53.	डा॰प्रदीप राज	एच॰आई॰जी॰-8		440.0
54.	श्री मोहन लाल	-"-	-9	4426.00
55.	श्री दलीप कुमार	-"-	-10	350.00
56.	श्री जनक बावला	-"-	-11	225.00
57.	श्री सुनील वासुदेवा	-"-	-12	93.00
58.	श्री विनय कुमार	-"-	-12(ए)	157.00
			योग	3,62,282.00

(ख) आवास बस्ती, पीतमपुरा (विन्दावन)

क्र॰सं॰	आवंटी का नाम	फ्लैट/मकान सं॰	बकाया राशि
1.	श्री वीरेश रहेजा	2	6896.00
2.	श्रीमति कुसुम शर्मा	6	11033.00
3.	श्री जयवीर खोसला	7	8965.00
4.	कु॰ एवना कौशल	8	696.00
5.	श्रीमति सविता रहेजा	10	2532.00
6.	श्री प्रीतम चन्द	12	696.00
7.	श्री रणजीत कुमार	14	1531.00
8.	श्री विनय मिश्र महाजन	18	5177.00
9.	श्रीमति सुनेश ककड़िया	20	1768.00
10.	श्री एस॰डी॰चौधरी	23	871.00
11.	श्रीमति अलका सूद	32	1440.00
12.	श्री जी॰एल॰बत्रा	33	1440.00
13.	कु॰ रेणु अहुजा	34	440.00
14.	श्री आर॰एल॰ठाकुर	35	484.00
15.	श्री नति हर्ष	38	871.00
16.	डा॰एस॰के॰हरीश	39	1162.00
17.	श्री अजय सूद	40	1162.00
18.	श्री विरेन्द्र कुमार	43	1319.00
19.	श्री यशपाल सिंह	47	893.00
20.	श्री सी॰पी॰नागपाल	62	406.00
21.	श्री रमेश चन्द शर्मा	70	871.00
22.	श्री आर॰एन॰सेठ	77	3367.00
23.	श्रीमति वीना रानी	78	396.00
24.	श्रीमति प्रेमलता छाबड़ा	79	440.00
25.	श्री अरुण कुमार अरोड़ा	80	440.00
26.	श्री सुरजिन्दर सिंह	82	871.00
27.	श्री अशोक नय्यर	84	1440.00
			57,607.00

(ग) आवास बस्ती, पालमपुर (होल्टा)

1.	श्री एल.सी.व्यास	एचआईजी-6	21117.00
2.	श्री राजिन्द्र सिंह	एम.आई.जी - 12	8975.00
3.	श्री सी.एल.शर्मा	-"- पी-12(ऐ)	433.00
4.	लै. क. गलिक नाथ	-"- -15	2323.00
5.	श्री नवीन कुमार पालिया	-"- 16	7124.00
6.	श्रीमति आदर्श	-"- 20	25353.00
7.	श्री के.के.परमार	-"- 52	44330.00
8.	श्रीमति प्रोमिला सूद	-"- 53	297.00
9.	श्री राम प्रकाश नागपाल	-"- 55	297.00
10.	श्री आर.सी.गुप्ता	एल.आईजी. 56	27636.00
11.	श्रीमति जय देवी	-"- 57	1080.00
12.	श्रीमति बिमला कटोच	-"- 59	653.00
13.	कोआर्डिनेटर सीएसआईआर	एमआईजी21 से 31	478206.00
14.	मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 लो0 नि0 विभाग	-"- 39,40,42	206022.00
15.	को-ओर्डिनेटर,सी.एस.आई. आर.	-"- 44	71212.00
16.	श्री आर.पी.एस.कटवाल	-"- 46	68209.00
17.	निदेशक,सी.एस.आई.आर.	-"- 47,48.	131619.00
18.	श्री पी.एस.मनकोटिया	एमआईजी-H-34	953.00
19.	मुख्य अभियन्ता,लो.नि.वि.एलआईजी	65से68	119172.00
20.	निदेशक,सीएसआईआर	एलआईजी-87,88, 90 से 93.	187083.00
21.	मुख्य अभियन्ता हि0प्र0लो.नि.वि.	एच.आई.जी.2 व 3	160720.00
22.	श्री मनोहर लाल	-"- 71	578.00
23.	डा.श्रीमति शारदा सिंह	-"- 52-ऐ	3231.00
24.	श्री सुदर्शन सिंह	-"- 61	512.00
			15,68,215.00

(1) आवास बस्ती अम्ब्रिटा 3,62,282.00

(2) आवास बस्ती पालमपुर (विन्द्रावन) 57,607.00

(3) आवास बस्ती पालमपुर (होल्टा) 15,68,215.00

कुल योग :- 19,88,104.00

8· **स्टाफ अग्रिम की अत्यधिक हस्तगत राशि का रखा जाना ।**

श्री वी·के·कायस्था द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में अत्यधिक मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशि अपने पास रखने के बावजूद स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियां स्वीकृत की जाती रही । नियमानुसार अगले स्टाफ अग्रिम की राशि तभी स्वीकृत की जा सकती है जब तक पहले स्वीकृत स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन न कर लिया जाये इस प्रकार से माह 10/2001 तक उक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा रू0 50,174·00 रूपये (पचास हजार एक सौ चौहत्तर रूपये मात्र) रूपये की स्टाफ अग्रिम की राशि को अनावश्यक रूप से रखा गया । जबकि निम्न विवरणानुसार वर्ष के आरम्भ में उक्त अधिकारी/कर्मचारी के पास रू0 1283·00 रूपये की राशि हस्तगत शेष थी माह 4/2001 से 10/2001 तक कर्मचारी को अनावश्यक रूप से रू0 5000·00, 20,000·00, 10,000, 10,000·00, 10,000.00, 20,000·00 व 10,000·00 रूपये की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत करके अग्रिम सम्बन्धी नियमों की अवहेलना की गई । अतः इस अनियमितता को भविष्य में रोकने हेतु तुरन्त प्रभावी पग उठाये जायें ।

क्र·सं·	माह के आरम्भ में स्वीकृत की गई राशि (रू·)	समायोजित राशि (रू·)	माह	माह के अन्त में हस्तशेष
1·	-----	----	3/2001	1283·00
2·	5000·00	--	4/2001	6283·00
3·	20000·00	---	5/2001	26283·00
4·	10000·00	15500·00	6/2001	20783·00
5·	10000·00	---	7/2001	30783·00
6·	10000·00	20609·00	8/2001	20174·00
7·	20000·00	---	9/2001	40174·00
8·	10000·00	---	10/2001	50174·00

लगातार पृ····14

9. कार्य का नाम :- रेन्टल हाउसिंग स्कीम एस.एच. ब्यावली में 12 नं0 टाईप दो तथा 6 नं. टाईप एक का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 9 आफ 2001-02

संविदाकार : श्री के0के0महाजन

माप पुस्तिका संख्या: 1078, 1057 व 1016.

उक्त निर्माण कार्य का आबंटन संविदाकार को अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक डी.डी./एच.बी/डब्ल्यू-7/99-7084-90 दिनांक 18.1.2000 को मु0 55,15,470/-रू0 हेतु किया गया। निर्माण कार्य की समय सीमा एक वर्ष अर्थात 15.2.02 थी जबकि कार्य दिनांक 24.10.01 को प्रारम्भ किया गया था। उक्त के प्रथम चलित बिल में निम्न अनियमितताएं एवं मु0 3438.65 रू0 के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए जिनकी औचित्यता अथवा वसूली अपेक्षित है।

(क) मद सं0 2 :-

उक्त मद का विस्तृत मापन माप पुस्तिका सं0 1078 पृ0 49 पर दर्ज था जिसमें प्लीन्थ की बीच की एक दीवार को एक्सेवेशन की गईथी जिसकी पुष्टि मद सं0 7 प्रोवाईडिंग एवं लेईंग सीमेन्ट कन्क्रीट 1:6:12 से भी होती है परन्तु एक्सेवेशन हेतु बीच की दीवार की संख्या एक की जगह दो दर्शाने के कारण 33.67 क्यूबिक मीटर का 95 रू0 प्रति मी^{3} (पार्ट दर 77 रू0) दर से 3198.65 रू0 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाए।

इसी प्रकार सी.डी.लौंग वाल तथा बोथ बालकानी वाल की एक्सेवेशन में लम्बाई क्रमशः 1.05 व 2.52 क्यूबिक मी. ली गई जबकि सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12 डालते समय यह लम्बाई क्रमशः 1.39 व 2.94 क्यूबिक मी. ली गई जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है इस कारण इस कार्य में कुल .07 व .05 क्यूबिक मी. सिमेन्ट कंकरी का भुगतान किया गया है। अतः दो ब्लाक से कुल (.07+.05)×2× ×1000= 240/-रू0 का अधिक भुगतान हुआ है। इसकी उचित मा से वसूली की जाए।

इस कार्य में टाईप-2 क्वार्टस से दो ब्लाक का नि

..2....

किया गया। इसमें एक ब्लाक में जो स्टील प्रयोग में लाई गई उसे सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक किया गया ~~जिसे~~ तथा उसे दूसरे ब्लाक हेतू दुगना कर दिया गया जिसे सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। अत: इसे सत्यापित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10. कार्य का नाम:- बोर्ड आफ स्कूल ऐजूकेशन के 18 नं0 टाईप-2 मकानों का सिहपुर में निर्माण।

अनुबन्ध संख्या:- 7, 1995-1996

कार्य शुरू करने की तिथि :- 3. 12. 1995

कार्य समाप्त होने की तिथि :- 20. 9. 1998

ठेकेदार का नाम :- श्री डी. डी. जैन पालमपुर

वाउचर सं0 :- 20 व 21 माह 7/2001

वाउचर संख्या 20 व 21 के अन्तर्गत इस कार्य के अंतिम बिल का भुगतान किया गया तथा बिल की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां एवं अधिक भुगतान के मामले ध्यान मे आए जिनकी वसूली अथवाऔचित्य अपेक्षित है।

§1§ इस कार्य में जो स्टील प्रयोग में लाई गई तथा जिसकी विभिन्न माप पुस्तिकाओं में जो प्रविष्टि की गई है वह सक्षम अधि-कारी सहायक अभियन्ता द्वारा पूर्णतया टैस्ट चैक है से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निश्चित माप दण्डों के अनुसार विभिन्न माप की जो खपत अपेक्षित थी उतनी न होकर उससे बहुत अधिक हुई है जिसकी पैनल रेट पर रिक्वरी की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। अत: पैनल रेट पर रिक्वरी न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा कुल राशि रू0 15592/=रू0 की वसूली कर वापिस जमा करवाई जाए जिसका विवरण निम्नलिखित है।

... ...

क्रम सं०	डाई का माप	माप अनुसार अपेक्षित खपत।	5% जो अधिक खपत की जा सकती थी।	नियमानुसार कुल की जा सकती खपत।	कुल की गई खपत.	अधिक की गई खपत.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.
1.	12 मिमि.	2855.783	142.78	2998.57	3830	831.43
2.	16 मि.मि	12971.53	648.57	13620.10	13805	184.90
3.	20 मि.मि	7430.38	371.51	7801.89	7880	78.11
4.	22 मि.मि	1728.03	86.40	1814.43	1875	60.56
						1155 Kg

1155×13.50= 15592 रु0

(2) स्टील की खपत जांच करने पर पाया गया कि जो स्टील की खपत दर्शाई गई उतनी मात्रा स्टाक से जारी ही नहीं हुई। जब हर इन्द्राज सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक है तथा निश्चित माप दण्डों के अनुसार जो खपत अपेक्षित है व खपत दर्शाई गई तो उतनी मात्रा स्टाक से जारी क्यों नहीं की गई। अत: खपत किस प्रकार सम्भव हुई से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

क्रम सं०	डाई का माप	दर्शाई गई खपत	स्टाक से जारी की गई मात्रा	मात्रा जो स्टाक से जारी नहीं की गई पर खपत दर्शाईगई।
1.	10 एम एम	5390 कि.ग्रा.	4890कि.ग्रा.	500 किग्रा
2.	10 एमएम	13805कि.ग्रा.	13460-"-	345 कि.ग्रा.

(3) बिल की जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा इस कार्य से की गई एक्स्ट्रा आईटम व सबस्टीच्यूट आईटमों की दरें बहुत ऊँची निर्धारित की गई जिन्हे बाद में मुख्यालय/एस. ई कार्यालय द्वारा कम किया गया। अत: स्पष्ट किया जाए कि डिविजन द्वारा पहले दरें ऊँची दरों पर क्यों निर्धारित की गई थी। उदाहरण के रूप में :-

... ...

~~17~~ 151

क्रम सं.	आईटम नं.	माप पुस्तिका पृ0	मात्रा	दरें जो डिविजन द्वारा दी गई।	दरें जो मुख्यालय द्वारा दी गई।	अन्तर	राशि जो अन्तिम बिल तक अधिक भुगतान की गई।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				रू० पै०	रू० पै०	रू० पै०	रू० पै०
1.	3	1031/99 / 18	164.363 एम^2	700.66	594.23	106.40	17488.22
2.	4	-"-	148.98 एम^2	832.68	666.00	171.68	25576.88
3.	9	1031/99 / 21	66.572 एम^2	186.33	101.70	84.63	5633.98
4.	10	-"-	243.122 एम.^{2}	697.02	536.20	160.82	39098.98
5.	15	1031/99 / 23	18 नं.	4150/=	3289.80	860.20	15483.60
6.	17	-"-	48नं.	86.58	32.75	53.83	2583.84
7.	3	1031/99 / 33	18 नं.	59.85	39.40	20.45	368.10
8.	5	1031/99 / 34	18 नं.	1352.02	566.75	785.27	14134.86

कुल राशि जो डिविजन द्वारा अन्तिम बिल तक अधिक भुगतान की जाती रही :- 120368.46

(4) इस कार्य का 13वाँ बिल की प्रविष्टि दिनांक 18.9.98 को गई तथा 14वाँ व अन्तिम बिल जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका सं0 1031/99 में की गई के अनुसार कार्य 20.9.98 को समाप्त हो गया जब कार्य समाप्त हो चुका था तो 13वाँ व 14 वाँ बिल एक ही क्यों नहीं बनाया गया इसके बारे पूर्ण स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

(5) 13वें बिल के अनुसार, इस कार्य हेतु 44.77 क्विंटल सी.जी. आई शीट तथा 11.28 क्विंटल पी.जी.आई.शीट जारी की गई थी। 13 बिल के दो दिन बाद कार्य (दिनांक 20.9.98) समाप्त हो गया तथा कार्य समाप्ति के पश्चात अविलम्ब शेष बचे सामान को वापिस जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु ठेकेदार द्वारा दो वर्ष बाद माह 7/2000 में 2 क्विंटल सी.जी.आई.शीट तथा 1क्विंटल 80 की.पी.जी.आई.शीट वापिस की गई तथा 3 वर्ष बाद ईण्डेन्ट

.. ..

सं0 996 माह 6/2001 में 5.74 क्विंटल सी.जी.आई तथा 1.09 क्विंटल पी.जी.आई शीट वापिस की गई जिससे स्पष्ट होता है कि इस कार्य से ठेकेदार द्वारा 13वें बिल तक कुल 7.74 क्विंटल सी.जी. आई शीट तथा 2.09 क्विंटल पी.जी आई. शीट कम का दुरूपयोग किया गया जहाँ इसकी पैनल रेट 5400 रू0 प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि क्र0 57402 रू0 की रिकवरी की जानी अपेक्षित थी। जबकि मण्डल द्वारा 13वां व 14वां/अन्तिम बिल का कार्य दो दिन के अन्तर पर समाप्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस कारण ठेकेदार 3 वर्ष तक इतने अधिक सामान का दुरूपयोग करता रहा। अतः पैनल रेट पर रिकवरी न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने हेतु जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

§6§ 14वें व अन्तिम बिल में 20 बैग सीमेन्ट दर 125/=रू0 राशि 2500 रू0 .540 मी. टन स्टील दर 13500 रू0 प्रति मी. टन राशि 17290 रू0 व .238 मी. टन सी.जी.आई.शीट दर 27000 रू0 मी. टन राशि 6426/=रू0 कुल राशि §2500+17290+6426§ 26216 रू0 यह प्रमाण पत्र देकर वापिस किए गए कि यह वास्तविक खपत से अधिक 13वें बिल तक रिकवर कर लिए गए थे जबकि खपत नहीं हुई। अतः 14वें बिल में वापिस कर दिए गए जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 13वें बिल तक जो रिकवरी की गई वह वास्तविक खपत के अनुसार थी क्योंकि नियमानुसार निर्धारित मात्रा से अधिक खपत 13वें बिल तक की जा चुकी थी जिसकी पैनल रेट पर रिकवरी की जानी अपेक्षित थी परन्तु 3 वर्षों पश्चात मैटिरियल वापिस लेकर ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुए भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

§7§ माप पुस्तिका सं0 078/97 पृ0 85 के अनुसार कार्य शुरू करने की तिथि 5.12.95, समाप्त होने की तिथि 30.9.98 व नपाई की तिथि 31.8.99 बताई गई जबकि एम/बी सं0 1031/99 में यह तिथि 28.10.99 दर्शाई गई है। कार्य समाप्ति के एक वर्ष बाद नपाई करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

.. ..

11. कार्य का नाम :- बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेशन के 2 नं. टाईप चार मकानों का सिरपुर में निर्माण।

वाउचर सं0:- 22 व 23 माह 7/2001

कार्य शुरू करने की तिथि :- 27.9.1995

कार्य समाप्त करने की तिथि :- 30.3.1998

ठेकेदार का नाम :- श्री डी.डी.जैन।

वाउचर सं0 22 व 23 माह 7/2001 के अन्तर्गत इस कार्य के आठवें व अन्तिम बिल का भुगतान किया गया। इस बिल की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका सं0 967/98 पृ0 1 से 40 में की गई। बिल की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ ध्यान में आई जिनका निपटारा किया जाए।

§1§ सामान खपत तालिका के अनुसार इस कार्य हेतु 799 बैग सीमेन्ट की खपत अपेक्षित थी तथा 3 प्रतिशत की वेरियेशन लेकर यह 775 बैग रह जाता है परन्तु स्टाक से केवल 770 बोरी जारी की गई। अतः विभाग द्वारा 5 बैग कम खपत करने पर 5 बैग की पेनल रेट दर पर रिक्वरी की गई परन्तु रिक्वरी करते समय यह ईशू रेट 125 रू0 प्रति बोरी की दर पर कर ली गई जबकि पेनल रेट ईशू रेट का दुगना होता है। अतः इस वसूली में 5 बैग 125 रू0 प्रति बैग की दर से कुल 625 रू0 की जो कम रिक्वरी की गई है उसे अविलम्ब उचित माध्यम से किया जाए।

§2§ इस कार्य के सातवें बिल जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका सं0 920/97 पृ0 30 से 54 में की गई है तथा भुगतान वाउचर सं0 120 व 121 माह 3/2000 में किया गया है। इस बिल के साथ संलग्न खपत तालिका §Consumption Statement§ के अनुसार इस बिल तक कुल 794 बैग की वास्तविक खपत दर्शाकर इस कार्य हेतु जारी कुल 810 बोरी में से 795 बोरी की 125 रू0 प्रति बैग की दर से रिक्वरी कर ली गई जबकि इस 8वें व अन्तिम बिल में इन रिक्वरकी गई 795 बोरी में से 25 बोरी का दर 125 रू0 कुल 3125/=रू0 ठेकेदार को वापिस भुगतान कर दिया गया तथा यह दर्शाया गया कि केवल

... .

770 बोरी ही खपत की गई जब आठवें बिल में कोई सीमेन्ट का कार्य नहीं किया गया है और 7वें बिल में वास्तविक खपत के अनुसार 795 बोरी की रिकवरी कर ली गई थी तो आठवें बिल में यह किन कारणों से 770 बोरी दर्शाकर 25 बोरी का ठेकेदार को वापिस भुगतान किया गया है। नियमानुसार वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

§3§ इस कार्य में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार कुल 6199.11 कि.ग्रा. स्टील की खपत हो सकती थी तथा इससे+5 प्रतिशत अर्थात 309.95 कि.ग्रा. वेस्टेज डालकर यह कुल 6509.06 या 6509 कि.ग्रा. बनती है परन्तु इस कार्य हेतु स्टाक से 6704 कि.ग्रा.स्टील जारी किया गया। अतः इस प्रकार कुल 195 कि.ग्रा. जो अधिक जारी किया गया था उसे कार्य समाप्ति के §दिनांक 30.3.98§ के 3 वर्ष 3 महीने बाद माह 6/2001 में ईण्डेन्ट सं0 595 द्वारा स्टाक में वापिस ले लिया गया दर्शाया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ठेकेदार द्वारा इस स्टील का तीन वर्ष तक दुरूपयोग किया गया। विभाग द्वारा पैनल रेट पर §2700 रू0 प्रति क्विंटल कुल 5265 रू0§ की रिकवरी करने की जगह स्टील वापिस लेकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। अतः वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

§4§ कार्य समाप्ति के पश्चात इस सामान की किस व्यक्ति द्वारा चौकीदारी की गई पूर्ण विवरण दिया जाए।

12. एक ही समय पर एक ही नम्बर की दो दो ईण्डेन्ट पुस्तकों का प्रयोग में लाया जाना :-

धर्मशाला उप मण्डल के स्टाक आकाउंट की जांच करने पर पाया गया कि उप मण्डल में एक ही समय पर दो ईण्डेन्ट पुस्तकें §एक ही नम्बर की§ द्वारा सामान जारी किया गया है। जैसे ईण्डेन्ट सं0 52 द्वारा दिनांक 25.1.98 को 100 बोरी सीमेन्ट जारी किए गए जबकि दिनांक 6.3.98 को पुनः ईण्डेन्ट सं0 52 द्वारा 50 बोरी सीमेन्ट जारी किए गए। इसी प्रकार ईण्डेन्ट सं0 65 द्वारा दिनांक 6.3.98 को 60 बोरी सीमेन्ट जारी किए गए जबकि

.. ..

ईण्डेन्ट सं0 65 द्वारा टीआई.सी बिल्डिंग हेतु पुनः 20 बोरी सीमेन्ट जारी किए गए।

अतः एक समय पर एक ही नम्बर की दो दो ईण्डेन्ट पुस्तकें जारी करने तथा उनसे सामान निकालने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा उच्च स्तरीय जांच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि इन ईण्डेन्ट पुस्तकों से जारी सामान की स्टाक खातों में उचित गणना कर ली गई है। तथा किसी प्रकार का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है।

13. कार्य का नाम :- सामाजिक आवास बस्ती होल्टा, पालमपुर में पुराने टैंकों के साथ सौक पिट का निर्माण ।

वर्क आर्डर :- 3, 2001-2002.

ठेकेदार का नाम:- श्री सन्जय शर्मा ।

कार्य आरम्भ करने की तिथि : 26.6.2001

कार्य समाप्त करने की तिथि. 4.7.2001

इस वर्क आर्डर हेतु कुल राशि मु0 17,360 रु0 का भुगतान किया गया जोकि आबंटित कार्य से लगभग दुगना है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमसं0	विवरण	वर्क आर्डर के अनुसार मात्रा।	कार्य स्थल पर की गई मात्रा.	दर	वर्कआर्डर के अनुसार मूल्य.	किएगए कार्य का मूल्य	अन्तर
1.	पी/एफ सेन्ड कास्ट आईरन।	6 रनिंग मीटर	6 रनिंग मीटर	200/=	1200/=	1200/=	--
2.	प्रोवाईडिंग लेड ज्वाईंट।	4 नं.	2 नं.	80/=	320/=	160/=	-(160)
3.	सौक पिट	1 नं.	2 नं.	8000/=	8000/=	16000/	+8000

वर्क आर्डर के अनुसार 6 रनिंग मी. पाईप (यानी 2 पाईपों) में 4 लेड ज्वाईंट लगाकर एक सौक पिट को बनाकर जोड़ा जाना अपेक्षित था।

जबकि कार्य विवरण अनुसार 2 पाईपों में 2 ज्वाईंट लगा कर 2 नये सौक पिट बनाकर उनमें कैनेक्शन दे दिया गया जो तर्क

... ...

संगत प्रतीत नहीं होता है। जिसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। क्योंकि जब वर्क आर्डर में कार्य एक सौक पिट बनाने हेतु आबंटित था तो 2 सौक पिट क्यों बनाए गए व एक टैंक हेतु 2 सौक पिट की क्यों आवश्यकता पड़ी।

14. कार्यों का नाम: (I) C/o R/wall and Toe wall for 42 No Type-I quarters, Block No. 1 to 7 at Sakoh
(II) C/o R/wall and Toe wall for 78 No. Type-I quarters Block No. 8 to 13 at Sakoh

एग्रीमेन्ट नं. 17 व 18 (1999-2000)

ठेकेदार का नाम: श्री अशोक ठाकुर धर्मशाला

वाउचर सं0:- कार्य नं. 1 :- 68 व 69 माह 7/2001 पांचवा चलित बिल । माप पुस्तिका 1020/99 पृ0 69.

कार्य नं. 2 :- 49 व 50 माह 30.11.2000 चौथा चलित बिल । माप पुस्तिका सं. 1029/99 पृ0 48 से 57.

(1) इन दोनो कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि विभागीय जस्टीफिकेशन बनाते समय (जो किसी कार्य आबंटन का मूल आधार है) पहली कार्य मद (कटिंग इन अर्थ वर्क) तथा दूसरी मद (एक्साक्वेशन इन फाउंडेशन एण्ड ट्रेन्चिज) में पिक वर्क 50 प्रतिशत तथा जम्पर वर्क 50 प्रतिशत लिया गया। इस जम्पर वर्क में दरों की गणना करते समय ड्रिलिंग इक्वीपमेन्ट, स्पेशल जैलोटिन 80 प्रतिशत, डैटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज क्वाईल तथा मजदूरों में ड्रिलर, ब्लास्टर, इत्यादि लिए गए तथा कटिंग इन अर्थ वर्क में जस्टीफाईड रेट 55.90 रु0 निकाले गए व ऐक्साक्वेशन इन फाउंडेशन में 89.20 रु0 निकाले गए तथा ठेकेदार को क्रमशः 65 रु0 व 75 रु0 घन मीटर की दरों पर कार्य आबंटित कर दिए गए। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी विभागीय न्यायोचितता (Deptt-Justification) बनाई जाती है जो कि कार्य, कार्य की स्थिति, भूमि की स्थिति इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर बनाई जाती है।

... ...

चूँकि इन दोनो कार्यों में जम्पर वर्क में ड्रीलिंग इत्यादि कार्य लिया गया है जो स्पष्ट करता है कि भूमि कठोर पथरीली थी। अतः इसमें ब्लास्टिंग की आवश्यकता है और इस कार्य में पत्थर अवश्य प्राप्त होगा। परन्तु अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों कार्य में पत्थर की कोई भी मात्रा स्टाक में नहीं ली गई जो अनुचित है। क्योंकि अगर इन दोनों कार्यों में इन बिलों तक निष्पादित इन दो मदों के कार्यों का केवल 25 प्रतिशत भी पुनः प्रयोग हेतु पत्थर प्राप्त होता तो यह 945.65 घन मी. होना चाहिए था जिसकी गणना निम्नलिखित है।

	प्रथम कार्य	दूसरा कार्य	कुल
{1} कटिंग इन अर्थ वर्क	1512.86एम^3	1821.05एम^3	3333.91एम^3
{2} एक्सावेशन इन अर्थ वर्क	216.76 एम^3	231.93 एम^3	448.69 एम^3
			3782.60 एम^3

25 प्रतिशत:- 945.65 एम3

तथा इस कार्य की मद सं0 7 {स्टोन फिलिंग बिहाईंड रिटेनिंग वाल} के विभागीय न्यायोचितता में पत्थर का मूल्य 250 रू0 प्रति घन मी. लिया गया है। इस प्रकार इन पत्थरों से कुल आय {945.65×250} 236412 रू0 प्राप्त होनी थी।

इन दोनों कार्यों में मद सं0 7 "स्टोन फिलिंग बिहाईंड रिटेनिंग वाल" जोकि ठेकेदार को 250 प्रति घन मी. के हिसाब से प्रथम कार्य में इस बिल तक 242.17 घन मी. राशि 60542.50 रू0 तथा दूसरे कार्य में चौथे बिल तक 188.10 घन मी. दर 250 रू0 राशि 47025 रू0 का कुल {60542+47025}=107567 रू0 का भुगतान किया गया है उसकी जगह लेबर रेट पर भुगतान किया जाता क्योंकि पत्थर मौके पर ही उपलब्ध था तो राशि 85946 रू0 की बचत होती क्योंकि यह दर 50.25 रू0 प्रति घन मी. बनती {लेबर रेट 14.50 रू0 +246.52प्रतिशत ठेकेदार का प्रीमियम}

कार्य प्रथम	242.17 घन मी.
कार्य दूसरा	188.10 घन मी.
	430.27 घन मी. ×50.25=21621.06

भुगतान की गई राशि =	107567.00
राशि जो भुगतान की जानी चाहिए थी	21621.06
ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि =	85945.94

अत: इन दोनों कार्यों में जो पुन: प्रयोग हेतु पत्थर स्टाक में नहीं लिया गया है उसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

§2§ कार्य नं§1§ "रिटेनिंग वाल ब्लाक नं0 1 से 7 तक" कुल 6,99,602/-रू0 का कार्य आवंटित था तथा दिनांक 20.10.99 को कार्य आरम्भ किया गया। कन्ट्रेक्टर लेजर व मिसों फाईल के अनुसार 6 बिल तक कार्य राशि मु0 12,98,380/-रू0 तक का हो चुका था जो आवंटित कार्य से लगभग 100 प्रतिशत अधिक है। इतने अधिक अतिरिक्त कार्य/ डेविएशन का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

15. कार्य का नाम:- रेन्टल हाउसिंग स्कीम पालमपुर । 6 नं. टाईप-1 व 12 नं. टाईप-2 क्वाटरों का पालमपुर में निर्माण।

ठेकेदार का नाम:- श्री अशोक ठाकुर

एग्रीमेन्ट सं0:- 11§2001-2002§

वाऊचर सं0:- 65 व 66 माह 3/2002.
5वां चलित बिल ।

इस कार्य में दो मदें §1§ एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन एण्ड ट्रेंचिंग तथा §2§ 1:6:12 की सीमेन्ट कंकरीट दो भागों में शड्यूल§ए§ व "सी" में ली गई जिन हेतु ठेकेदार द्वारा क्रमश: 90 रू0 व 1210 रू0 प्रति घन मी. की दरें दी गई। कार्य आवंटन से पूर्व ठेकेदार द्वारा नेगोसिएशन में शड्यूल "ए" पर 10.5 प्रतिशत रिबेट दी गई, इस प्रकार इस एक्ही कार्य में एक ही मद हेतु व एक ही ठेकेदार को एक्ही बिल में अलग अलग रेट पर भुगतान किया गया जो निम्नलिखित है :-

	शड्यूल §ए§	शड्यूल§सी§
एक्साकेवेशन इन फाउंडेशन	90-10.5 प्रतिशत §90-9.45§ 80.55	90
सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12	1210-10.5प्रतिशत §1210-127.05§ 1082.95	1210

तथा उपरोक्त कारण इस बिल तक शड्यूल सी के अन्तर्गत इन दोनों मदों में राशि मु0 2250.80 रू0 का अधिक भुगतान कर दिया

....

गया जिसकाविवरण निम्नलिखित है :-

मद संख्या 1 38.84 एम³×9.45 = 363.03

मद सं0 2 14.89 घन मी. ×127.05=1891.77

2258.80

इस भुगतान काऔचित्य दिया जाए अन्यथा उचित माध्यम से वसूली की जाए ।

16. कार्यों का नाम :- (1) पी.एस.एफ.एस. मिन्द्रावन 23 नं. कैटागरी (1) क्वाटर कैटागरी-2.

(2) -यथोपरि-. कैटागरी-I.

ठेकेदार का नाम :- मै0 सूद कन्स्ट्रक्शन चण्डीगढ़

एग्रीमेन्ट सं0 :- 22 व 23 आफ 1999-2000

वाउचर सं0 :- 44 व 45 माह 7/2001

46 व 47 माह 7/2001

उपरोक्त वाउचरों के अन्तर्गत इन दोनों कार्यों के 6 रनिंग बिल का भुगतान किया गया। इन दोनों कार्यों की एग्रीमेन्ट मद सं0 31, प्रेस्ड स्टील डोर फ्रेम इत्यादि,प्रोफाईल "बी" डबल फ्राम जिसका इन्द्राज क्रमशः माप पुस्तिका सं0 1095/2000 पृ0 47 व माप पुस्तिका सं0 1094/2000 पृ0 74 में की गई है। इन दोनों पुस्तिका/ बिलों में इस कार्य हेतु प्रत्येक बिल में 1807.70 रनिंग मी. 125 रु0 प्रति मी. की दर से 2,25,962.50 रु0 का भुगतान किया गया। यह प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चेक है।

परन्तु इस कार्य के 5वें बिल की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि पांचवें बिलों में इन दोनों मदों के अन्तर्गत क्रमशः 1961.85 रनिंग मीटर का भुगतान किया गया जिनकी प्रविष्टी क्रमशः माप पुस्तिका सं0 1041/99 पृ0 14 व 1108/2000 में की गई थी तथा यह प्रविष्टियां भी पूर्णतया सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चेक थी ।

अतः स्पष्ट किया जाए कि 5वें बिल की 100 प्रतिशत टेस्ट चेक प्रविष्टि किन परिस्थितियों में छठे बिल में कम हो गई ।

.. ...

पाँचवें बिल में इस मद के अन्तर्गत ठेकेदार को राशि 13538/= (54.15×2×125) रू0 का अधिक भुगतान किया गया कारण स्पष्ट किया जाए ।

17. कार्य का नाम:- रिटेनिंग वाल, 2 नं. टाईप(1) क्वाटरों के पीछे रानी ताल में निर्माण ।

अनुबन्ध संख्या:- 24(2001-2002)

ठेकेदार का नाम :- श्री ओम प्रकाश ।

वाउचर सं0 :- 52 व 53 माह 3/2002.

उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि कार्य की मद सं0 2 व 3 कटिंग इन अर्थ वर्क तथा एक्सावेशन इन अर्थ वर्क की विभागीय न्यायोचिता बनाते समय पिक वर्क 25 प्रतिशत, जम्पर वर्क 40 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत चिजलिंग इन सोफ्ट रोक ली गई। इन दोनों मदों के अन्तर्गत कुल 152.84+25.38=178.22 घन मी. की खुदाई का कार्य किया गया तथा स्टाक में 8.5 घन मी. पत्थर मौके से प्राप्त किया गया दर्शाया गया जब विभागीय न्यायोचितता के अनुसार 35 प्रतिशत कार्य चिजलिंग से सम्बन्धित था जो किए गए कुल कार्य का 35 प्रतिशत यानि 62.37 घन मी. बनता है। यदि इसका आधा भी पुन: प्रयोग योग्य पत्थर प्राप्त होता तो यह लगभग 31 घन मी. बैठता । अत: केवल 8.5 घन मी. पत्थर प्राप्त होने का कारण स्पष्ट किया जाए।

इस कार्य में मौके से प्राप्त 8.5 घन मी. पत्थर को ठेकेदार को जारी करके उससे 151 प्रतिघन मी. की दर से वसूली कर ली गई जबकि इस कार्य की मद सं0 7 "स्टोन पिचिंग (ड्राई) रिटेनिंग वाल" की विभागीय न्यायोचितता में पत्थर का मूल्य 330 रू0 प्रति घन मी. लिया गया है। अत: विभागीय न्यायोचितता हेतु पत्थर मूल्य 330 रू0 प्रति घन मी. तथा ठेकेदार से वसूली हेतु मूल्य 151 रू0 प्रति घन मी. लेने का कारण स्पष्ट किया जाए ।

क्योंकि पत्थर स्थल पर प्राप्त हो गया था । अत: अगर मद सं0 7 स्टोन पिचिंग (ड्राई) रिटेनिंग वाल का भुगतान लेबर

... ..

रेट पर होता तो विभाग को इस बिल तक राशि मु0 1894 रु0 की बचत होती। अतः वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(क) मद का शड्यूल रेट 61.60 रु0

ठेकेदार का प्रिमियम (-) 11.133%=(-)6.85

ठेकेदार को देय कर 54.74

(ख) बिल तक रिटेनिंग वाल के पीछे पत्थर भरा गया = 9.18घमी

यदि 8.5 घन मी. पत्थर से रिटेनिंग वाल भरी जाती $\frac{8.5}{1.10}$ = 7.72 घन मी.

अतः कुल किए गए कार्य में से :-

7.72 घन मी. दर 54 रु0 74 पै.	=	422.59
1.46 -"- दर 300/=	=	438.00
कुल भुगतान योग्य राशि =		860.59

ठेकेदार को भुगतान की गई राशि = 2754.00
(9.18×300)

ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि = 1893.41
(2754-860.59)

18. **राशि मु0 2454.00 रु0 की वर्दी का अनियमित वितरण :-**

वाउचर संख्या 70 माह 3/2002 के अन्तर्गत हि0प्र0 राज्य हेण्डीक्राफ्ट व हैण्डलूम कार्पोरेशन के बिल संख्या 048652 दिनांक 14.3.2002 द्वारा वर्दी का सामान खरीदने पर राशि मु0 2454/=रु0 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	गर्म कपड़ा	5.92 मी.	245/-	1450/=
2.	टोपी	2	70.00	140.00
3.	जूते	2	298.00	596.00
4.	जुराबें	2	29.00	58.00
5.	दस्ताने	2	105.00	210.00
			कुल :	2454.00

... ..

यह सामान श्री प्रकाश चन्द ड्राईवर व श्री आलम सिंह ड्राईवर को दिया गया। जबकि अभिलेख के अनुसार माह 12/2000 में यह सामान उन्हे पहले दिया जा चुका था जो अब दो वर्ष बाद माह 12/2002 में देय था। अत: समय पूर्व/गलत आबंटित किए गए सामान की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से कर बोर्ड के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर बताई जाए ।

19. वाउचर सं0 55 दिनांक 20.3.2002 को राशि मु0 1703400.00 रू0 की निकासी अधिशासी अभियन्ता आई.पी.एच.सलूनी जिला चम्बा के नाम हाउसिंग बोर्ड क्लौनी हरीपुर चम्बा में पानी की आपूर्ति देने हेतु बैंक ड्राफ्ट राशि मु0 1700000रू0 व 3400 रू0 बैंक चार्जिज के रूप में भुगतान किए गए तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला, धर्मशाला का बैंक ड्राफ्ट सं0 547320 दिनांक 20.3.2002 को बनाया गया।

चार महिने बाद दिनांक 10.7.2002 को इस कार्य हेतु पुन: नया बैंक ड्राफ्ट सं0 498942 दिनांक 10.7.2002 बनाया गया तथा पुराना बैंक ड्राफ्ट को रदद किया गया दर्शाया गया तथा पुन: राशि मु0 3400 रू0 बैंक ड्राफ्ट चार्जिज के रूप भुगतान करने पड़े ।

अत: पुराने बैंक ड्राफ्ट के रदद होने का कारण तथा दो बार बैंक कमीशन राशि 3400 रू0 प्रति ड्राफ्ट भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए क्योंकि बिना ठोस कारण के दो बार कमीशन का भुगतान किया गया है। अत: मु0 3400 रू0 की वसूली अपेक्षित है।

20. <u>ठेकेदारों द्वारा जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति के सन्दर्भ में :-</u>

ठेकेदारों द्वारा जमा धरोहर राशि/ प्रतिभूति (Security) जो विभिन्न बिलों से काटी गई थी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गई ।

(1) प्रतिभूति रजिस्टर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रतिभूतियां किस किस को तथा किस बिल/माप पुस्तिका इत्यादि से काट कर जमा की गई है। अत: भविष्य में पूर्ण जानकारी का उल्लेख प्रतिभूति रजिस्टर पर दर्ज किया जाए ताकि भुगतान करते समय इसकी पूर्ण जांच सम्भव हो सके तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि को नकारा जा सके ।

.. ...

§2§ प्रतिभूति भुगतान सम्बन्धी वाउचरों की जांच पर पाया गया कि ठेकेदारों को उनकी जमा प्रतिभूतियों का वापिस भुगतान करते समय उनसे भुगतान की गई राशि की कोई रसीद प्राप्त नहीं की गई है। अतः रसीद प्राप्त न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि में भुगतान की गई राशियों की रसीदें प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए। भुगतान की गई राशियों में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	वाउचर सं0	नाम	कार्य का नाम	राशि
1.	---	संजय स्टील फैबरीकेशन.	पी.एच.एस. बैजनाथ	7108.00
2.	---	श्री अशोक कुमार	C/o 3 नं. टाईप-II	21974.00
3.	65	श्री ओम प्रकाश शर्मा	C/o पी एच एस जयसिंहपुर.	8320.00
4.	66 व 67	श्री ए.के. ठाकुर	आर.एच.एस पालमपुर.	1910.00
			C/o Retaining walls T.I at Sakoh	17311.00
5.	75	बलजीत सिंह	C/o Road at JNL Paprolla	26747.00
6.	37	श्री नरिन्द्र ठाकुर	C/o RHS Khajjair Chamba	25335.00
7.	38-39	श्री वरिन्द्र सिंह	पी.एच.एस. सलूनी तिस्सा.	79179.00

21. कनिष्ठ अभियन्ता, समायोजन वाउचर सं0 25 माह 7/2001 के अन्तर्गत श्री ए.के. उपाध्याय §क0अभियन्ता§ द्वारा पी.एच.एस. लम्बागांव में 7 नं. ब्रास स्टाप कॉक, 2 नं. पी.वी.सी. कनैक्शन, 4 नं. ब्रास बिब कॉक को बदलने के बिलों का भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि बदले गए सामान की कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं ली गई है तथा संबन्धित अधिकारियों से चर्चा करने पर यह बताया गया कि आज तक इस प्रकार के पुराने सामान की कभी कोई स्टाक प्रविष्टि नहीं ली गई है।

....

जो एक गलत प्रक्रिया है। क्योंकि यह पुराना सामान बेच कर कुछ आय अर्जित की जा सकती है। अतः पुराने सामान की स्टाकप्रविष्टि न लेने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सारे पुराने सामान की स्टाक प्रविष्टि लेकर आगामी अंकेक्षण में बतलाई जाए।

22. कनिष्ठ अभियन्ता समायोजन वाउचर सं0 36 व 37 माह 7/2001 के अन्तर्गत होल्टा कलौनी में मकान सं0 1 से 20 तक की सिवरेज लाईन दिनांक 16.6.2001 को साफ करवाने पर 500 रू0 का भुगतान किया गया, पुनः वाउचर सं0 37 के अन्तर्गत मकान नं0 7 से 14 तक की सिवरेज लाईन दिनांक 18.6.2001 को साफ करवाने पर पुनः 500 रू0 का भुगतान किया गया। जब लाईन 16.6.2001 को साफ हो गई थी तो एक दिन बाद पुनः साफ करवाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः 18.6.2001 को किए गए भुगतान राशि मु0 500/=रू0 को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाए।

23. कनिष्ठ अभियन्ता समायोजन बिलों की जांच करते समय पाया गया कि माह 3/2002 में मैसर्ज करूणा फिलिंग स्टेशन मारण्डा तहसील पालमपुर के कैश मैमों संख्या 9917 दिनांक 11.3.02 के द्वारा वाहन संख्या एच.पी. 03-0545 में 35 लीटर पैट्रोल डलवाने पर राशि मु0 1032.00 रू0 का भुगतान किया गया जबकि उक्त वाहन की लागबुक की जांच पर पाया गया कि उक्त माह की आउट टर्न (Out turn) में केवल 30 लीटर पैट्रोलही जमा किया गया है। अतः 5 लीटर कम लिए गए पैट्रोल के मूल्य की वसूली दोषी कर्मचारी से तुरन्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24. वाउचर सं0 49 माह 7/2001 के अन्तर्गत राशि मु0 94510/=रू का भुगतान, माह 6/2001 में कर्मचारियों के वेतन से काटे के अंशदान भविष्य निधि के अंशदान को जमा करवाने हेतु किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि माह 6/2001 में श्री औंकार चन्द के वेतन से राशि मु0 545/=रू0 की कटौती की गई जबकि इस वाउचर के अन्तर्गत केवल 253 रू0 जमा करवाए गए। अतः राशि मु0 292/=रू0 जो कम जमा करवाए गए हैं उसका कारण स्पष्ट किया जाए जिसे अब जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

... ...

25. वाउचर सं0 50 माह 7/2001 के अन्तर्गत राशि मु0 50942/=रू0 का भुगतान, अंशदान भविष्य निधि में ईम्पलायर के समानान्तर अंशदान के रूप में किया। इस बिल में वर्क चार्ज श्री मस्त राम फिटर के खाते हेतु कुल 3668/=रू0 {1259+1187+1222} का अंशदान किया गया जबकि माह 6/2001 में कर्मचारी के वेतन से केवल 1259 रू0 काटे गए थे। अतः राशि मु0 2409 रू0 का अतिरिक्त अंशदान किया गया है। उसे न्यायोचित ठहराया जाए।

26. कर्मचारियों द्वारा काटे गए अर्जित अवकाश की सेवा पंजिका में प्रविष्टि न करना :-

विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की व्यक्तिगत नस्तियों के साथ जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा काटे गए अर्जित अवकाश की उनकी सेवा पंजिका में इन्द्राज नहीं किया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। अतः इन्द्राज न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सभी कर्मचारियों द्वारा समय समय पर काटी गई छुट्टियों को उनकी सेवा पंजिका में इन्द्राज किया जाए। कुछ इन्द्राज नहीं की गई छुट्टियों का विवरण निम्नलिखित है :-

1. श्रीमति तृप्ता देवी, अवधि 6 दिन 26.6.2000 से ~~[illegible]~~ 1.7.2000 स्वीकृति पत्र सं0 डी.डी./एच.बी/ई-10/2000-1653-55, दिनांक 10.7.2000.
2. श्रीमति बन्दना कटौच, अवधि 5 दिन 4.12.2000 से 8.12.2000, स्वीकृति पत्र सं0 2992-94 दिनांक 29.11.2000.

27. {1} वउचर सं0 79 व 80 माह 3/2002 के अन्तर्गत श्रीमति बन्दना कटौच को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों राशि मु0 142/=रू0, 189/=रू0 का भुगतान किया गया। इन बिलों में सभी दवाईयां आयुर्विदक चिकित्सक द्वारा अनुमोदित की गई परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें कोई भी दवाई नियमानुसार देय नहीं थी। अतः किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

{2} सब वाउचर सं0 8 दिनांक 28.11.2001 के अन्तर्गत श्रीमति तृप्ता कटौच पत्नि श्री बलवन्त कटौच को उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति

.. ...

बिल 11.10.2001 के भुगतान स्वरूप राशि मु0 178 रू0 का भुगतान किया गया जो कि आयुर्वैदिक चिकित्सालय धर्मशाला द्वारा अनुमोदित थी। इस बिल में हैमी प्लस 35 रू0, न्यूसैल 47/=, वैमिटैब 96/=रू0 का भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार/देय दवाईयों की तालिका अनुसार यह दवाईयों का भुगतान नहीं किया जा सकता था। अत: किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से वसूली कर वापिस जमा करवाया जाए ।

28. दिनांक 31.3.2001 को हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के स्टॉक का राशि मु0 5766.00 रू0 से अधिक दर्शाया जाना :-

उपमण्डल पालमपुर द्वारा दिनांक 31.3.2001 को राशि मु0 725644.00 रू0 का स्टाक शेष दिखाया गया है। जोकि अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापितभी है दर्शायी गई तालिका की जब सम्बन्धित अभिलेख द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि तालिका की क्रम संख्या 7, सी.जी.आई.शीट्स (0.63 एमएम) 1.9964 दर मु0 35047.00 प्रति मी. टन कुल 69967.00 रू0 की शेष थी। जबकि बिन कार्ड संख्या 221 में यह केवल 1.7964 शेष थी। अर्थाततालिका में 0.2 मी. टन राशि मु0 7008/-रू0 शेष स्टॉक अधिक दर्शाया गया।

इसी प्रकार तालिका की क्रम सं0 20 पर (कास्ट आयरन एम.एच.फ्रेम) 3 नं. राशि मु0 1863.00 रू0 के दर्शाए गए जबकि बिन कार्ड संख्या 203 के अनुसार यह 5 नं. राशि मु0 3105.00 के शेष थे। इस प्रकार शेष स्टॉक दिनांक 31.3.2001 को राशि मु0 1242.0 रू0 से कम दिखाया गया। अत: इन अन्तर के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा किसी प्रकार के दुरूपयोग की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

29. माप पुस्तिका :-	903/97
कार्य :-	जे.एन.वी.सरोल चम्बा में प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग एम.एस. रेलिंग ओन आर/वाल.
संविदाकार का नाम:-	श्री रमेश कुमार.
प्रस्ताव संख्या:	9/2000-01.

माप पुस्तिका 903/97 के पेज 33 की जांच करने

... ...

पर पाया गया कि मद संख्या (3) की गणना गलत की गई थी। इस मद के एम.एस. स्टील 20×5एमएम के 70 पीसों की कुल गणना 4802 कि.ग्रा. बनती थी जबकि माप पुस्तिका में 4813.20 कि.ग्रा. दर्शाई गई है। अत: कुल 11.20 कि.ग्रा. स्टील ज्यादा दर्शाई गई है। अत: मु0 11.20×24=269 रू0 ज्यादा दिए गए। अत: मु0 269/=रू0 की वसूली करके अनुपालना हेतु अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30. लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह अलग से जारी नहीं की गई।

31. निष्कर्ष :-

खातों के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
2 8 MAR 2003 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एलए)2(सी)15(14)119/88-खण्ड-10, दिनांक, शिमला-9.

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निगम विहार, शिमला-2.
4. श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा), द्वारा...

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

....